(15)

उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की दिनां 27 मार्च,1998को सम्पन्न हुई 1998 की 169वीं बैठक की कार्यवृत्त

दिनॉक 27.3.98 को बैठक प्रारम्भ हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1.	श्री महेश दत्त शर्मा	अध्यक्ष
2.	श्री राम वृक्ष प्रसाद, संयुक्त सचिव(आवास) प्रतिनिधि-सचिव (आवास) उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
3.	श्री आर0के0मित्तल, आवास आयुक्त उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
4.	श्री एम0पी0अनीजा, वरिष्ठ नियोजक प्रतिनिधि : मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0	सदस्य
5.	श्री बी0बी0गर्ग, उप निदेशक प्रतिनिधि :निदेशक, सी0बी0आर0आई0 रुड़की।	सदस्य
6.	श्री एस0के0वर्मा, मुख्य अभियन्ता उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद	सदस्य

विशेष आमन्त्री के रूप में:-

1.	श्री सुबोध शंकर, मुख्य वास्तुविद नियोजक उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
2.	श्री वी0एन0उपाध्याय, वित्त नियन्त्रक उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
3.	श्री एस0सी0दीक्षित, विधि परामर्शदाता उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद	सदस्य

बैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नवत निर्णय लिये गये:-

मद संख्या	विषय	निर्णय
	2	3
	परिषद की 168वीं बैठक दिनॉक 3.1.98 की कार्यवृत्ति की पुष्टि	[illegible]

(२४)

1	2	3
2.	परिषद की 168वीं बैठक दिनांक 3.1.96 की अनुपालन आख्या।	अवलोकित किया गया।
3.	परिषद के अवलोकनार्थ टिप्पणी की सूची	अवलोकित किया गया।
4.	माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.12.96 के अनुपालन में सहायक श्रेणी-2 पद के कर्मचारियों को रूपया1200-2040 का वेतनमान लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
5.	सेलेक्शन ग्रेड/प्रोन्नत वेतनमान के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 3.6.89 के क्रम में संशोधित शासनादेश दिनांक 8.3.95 एवं दिनांक 5.2.97 को परिषद में लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
6.	तकनीकी सहायक संवर्ग कर्मचारियो द्वारा वेतन विसंगति के निराकरण हेतु माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या 6420/96 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश के अनुपालन में तकनीकी सहायक संवर्ग का वेतनमान रू0 1025-1720 संशोधित कर वेतनमान रू0 1400-2300 स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
7.	परिषद के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग/नियमित कार्यप्रभारित संवर्ग एवं मानचित्रक संवर्ग के शासनादेश दिनांक 8.3.95 एवं 5.2.97 में निहित प्राविधानो के अनुसार सेलेक्शन ग्रेड एवं प्रोन्नति वेतनमान का लाभ अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
8.	वित्तीय वर्ष 1997-98 के पुनरीक्षित एवं 1998-99 हेतु प्रस्तावित आय-व्यय का अनुमान।	अनुमोदित किया गया।
9.	परिषद द्वारा संचालित 4 आवासीय योजनाओ में हडको से ऋण प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
10.	मद संख्या 32 परिषद बैठक दिनांक 5.11.97 को पुनः परिषद बैठक के समक्ष प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।	परिषद बंधु को संदर्भित किया गया जो अपनी संस्तुति पर अध्यक्ष के आदेश प्राप्त करें।
11.	मद संख्या 33 परिषद की बैठक दिनांक 5.11.97 को पुनः परिषद बैठक के समक्ष प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।	परिषद बंधु को संदर्भित किया गया जो अपनी संस्तुति पर अध्यक्ष के आदेश प्राप्त करें।
12.	परिषद की इंदिरानगर विस्तार योजना लखनऊ में समाविष्ट ग्राम समीउद्दीनपुर की भूमि खसरा संख्या 419 की 3200वर्गफुट भूमि के समयोजन के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।

	2	3
13	इंदिरानगर योजना लखनऊ के अन्तर्गत समाविष्ट ग्राम बस्तौली के खसरा संख्या 93/19 श्री लीलानन्द जोशी की भूमि के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव वापस किया गया।
14	कुर्सीरोड योजना लखनऊ में समाविष्ट ग्राम बटहा सबौली के खसरा संख्या 233 के सम्बन्ध में।	विकास शुल्क लेकर समायोजित करने का निर्णय लिया गया।
15	खुर्जा पहासू मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-2 खुर्जा जिला बुलन्दशहर को परिषद निर्णय के उपरान्त सीधी बातचीत के माध्यम से भूमि क्रय करके योजना चलाये जाने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित (जिन भूस्वामियों द्वारा 35प्रतिशत भूमि उनके पक्ष में छोड़ने का अनुरोध किया गया है, उनकी भूमि असुधार शुल्क लेते हुये छोड़ने का प्रस्ताव अनुमोदित)
16	वसुन्धरा योजना संख्या-3गाजियाबाद में समाविष्ट फ्रेन्ड कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमि0की भूमि के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
16ए.	न्यू अमरोहा सहकारी आवास समिति को खसरा संख्या3674व 3675 को आवंटित किये जाने कस सम्बन्ध में।	वल्क सेल गाइड लाइन्स के आधार पर भूमि का मूल्य लेकर न्यू अमरोहा सहकारी आवास समिति को भूमि दिये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
17	श्री के0एन0त्रिपाठी, सहायक लेखाकार को चिकित्सा अग्रिम/अनुदान स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
18	श्री ओ0पी0सिंघल, अधीक्षण अभियन्ता द्वितीय वृत्त मेरठ को उनके स्वंय के हृदयरोग के इलाज पर हुये ब्यय की चिकित्सा प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
19	श्री छोटे लाल, सहायक लेखाधिकारी की पत्नी के उपचार हेतु चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
20	परिषद के अवर अभियन्ता/वास्तुकला सहायक ग्रेड-1 एवं 2 के संवर्ग को शासनादेश दिनांक 8.3.95 .95 एवं 5.2.97 में निहित प्राविधानो के अनुसार सेलेक्शन ग्रेड एवं प्रोन्नति वेतनमान का लाभ अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
21	मुख्य वास्तुविद नियोजक एवं वरिष्ठ वास्तुविद नियोजक के पद पर पदोन्नति।	प्रस्ताव अनुमोदित। मुख्य वास्तुविद नियोजक के पद का वेतनमान 5100-6150 करने का निर्णय लिया गया। शासन को अवलोकनार्थ भेज दिया जाय।
22	फैरोब्वाय व नीलमुद्रक के कार्यो की प्रकृत एक समान होने के कारण वेतनमान में भिन्नता समाप्त करने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
23	श्रीएन0यू0बिलग्रामी, अधीक्षण अभियन्ता का स्थायीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित। आदेश जारी होने की तिथि से स्थायीकरण किये जाने के निर्देश दिये गये।

1	2	3
24.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी को वेतनमान रू0 1400-2600 पर सेलेक्शन ग्रेड/प्रोन्नति वेतनमान की सुविधा अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
25.	परिषद में कार्यरत सहायक श्रेणी-तृतीय पद धारकों को 10 वर्ष की प्रशंसनीय सेवा पूर्ण करने के पश्चात सहायक श्रेणी-द्वितीय पद का पूर्व वेतनमान रू01025-1720 के स्थान पर पुनरीक्षित वेतनमान रू01200-2040 दिये जाने के सम्बन्ध में।	सहायक श्रेणी-तृतीय के पदधारको को 10 वर्ष की प्रशंसनीय सेवा पूर्ण करने पर वेतनमान रू01025-1720 के स्थान पर वेतनमान रू01200-2040 वेतनमान दि01.1.96 से लागू किये जाने के निर्देश दिये गये।
26.	श्री राजेन्द्र नाथ सिंह, सहायक श्रेणी प्रथम मुख्यालय लखनऊ को दिनॉक 5.6.96 से 16.1.97 तक विशेष अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
27.	दैनिक वेतन भोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।	आवास सचिव, सचिव-सार्वजनिक उद्यम विभाग एवं आवास आयुक्त की समिति को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया।
28.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी -धुलाई भत्ता की दरों में वृद्धि के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
29.	भवन अग्रिम ऋण प्राप्त किये जाने पर ब्याज में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
30.	रुद्रपुर योजना संख्या-1, रुद्रपुर में 22 नग आवासीय भूखण्डों में अनियमितता के सम्बन्ध में श्री एस0पी0 आर्य अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध गठित विभागीय जॉच के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव वापस लिया गया।
31.	माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय दिनॉक 16.12.96 के परिपेक्ष्य में परिषद कर्मचारियों के वेतनमानों की विसंगतियॉ दूर किये जाने के सम्बन्ध में।	निगम कर्मचारियों के लिए बनाये गये वेतन आयोग द्वारा अनुमन्य वेतनमान आने पर तदनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
32.	संहत वेतन पर कम्प्यूटर आपरेटर के नियत वेतन में वृद्धि एवं नियमित कर्मचारियों की भॉति 8.33प्रतिशत की दर से अनुग्रह धनराशि भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
33.	प्रशिक्षित विजली मिस्त्री(नियमित कार्यप्रभारित कर्मचारी) वेतनमान रू0975-1660 को सेलेक्शनग्रेड/प्रोन्नति वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
34.	परिषद में वाहन चालकों(ड्राइवर/रोड रोलर ड्राइवर) को शासनादेश दिनॉक 8..3.95 एवं 5.2.97 में निहित प्राविधानों के अनुसार सेलेक्शग्रेड एण्वं प्रोन्नति वेतन मान का लाभ अनुमन्य किये जाने	अनुमोदित किया गया।

1	2	3
35.	झूंसी योजना संख्या–3इलाहाबाद में 53/127 प्रकार स्वेय वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत 38नग सेमीफिनिश्ड भवनो के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
36.	लखनऊ एवं मेरठ नगर में परिषद द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओ में उपलब्ध रिक्त भूमि एफ–41, एफ–70 एवं 39 प्रकार के तिमंजिले फलेट्स के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
37.	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के सेक्टर–16 में प्रस्तावित आफिस/व्यवसायिक काम्पलेक्स के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवंवित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
38.	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के अन्तर्गत ग्राम प्रहलादगढ़ी के आन्तरिक विकास कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
39.	परिषद की कम्प्यूटरीकरण के विस्तार हेतु परिषद में कार्यरत कर्मचारियो एवं अधिकारियो के मद से ही पृथक कम्प्यूटर केडर विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।	सिद्धान्त रूप से अनुमोदित।पद के उच्चीकरण का प्रकरण शासन को संदर्भित करने के निर्देश दिये गये।
40.	परिषद योजनाओ में प्रस्तावित सामुदायिक केन्द्रो के भूखण्डो की नीलामी द्वारा निस्तारण एवं कार्यशील महिलाओ के लिये छात्रावास के निर्माण के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
41.	ट्रास यमुना योजना, आगरा फेज–1 एवं फेज–2 के पेयजल योजना के पुर्नगठन के क्षत्रीय जलकल बनाने हेतु उ0प्र0जलनिगम को भूमि आवंटित करने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
42.	मेरठ योजना संख्या–7 शास्त्रीनगर के सेक्टर–13 में निजी बसस्टेण्ड बनाने के लिये 3639 वर्गमी0 भूमि वल्क सेल के अन्तर्गत आवासीय दर पर आवंटित करने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
43.	विशेष अभियान के अन्तर्गत स्वतः कम्पाउडिंग योजना हेतु प्रस्ताव।	अनुमोदित किया गया किन्तु लागू करने से पूर्व शासन की अनुमति ले ली जाय।
44.	परिषद की इंदिरानगर योजना लखनऊ के स्टाफ क्वार्टर संख्या सी–304 श्री कर्ण सिंह चौहान के पक्ष में विक्रय करने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।

1	2	3
5.	पूर्व अवशेष पंजीकृत व्यक्तियो से वर्तमान पंजीकरण धनराशि के अन्तर की धनराशि जमा कराने एवं नया पंजीकरण खोलने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया
6.	स्व0श्री चन्द्र शेखर शुक्ल नियमित कार्यप्रभारित कर्मचारी को परिषद की इंदिरा नगर योजना लखनऊ में आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवन संख्या 14/444 के विरूद्ध देय धनराशि का 50प्रतिशत माफ किये जाने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
7.	आसुधार शुल्क/विकास शुल्क/विकास व्यय के सम्बन्ध में।	आसुधार शुल्क के रूप में वर्तमान भूमिदर का 20 प्रतिशत अनन्तिम रूप से लिये जाने का निर्णय लिया गया।
8.	परिषद की निष्प्रयोज्य वाहनो के विरूद्ध नये वाहन क्रय करने की स्वीकृति हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी।	प्रस्ताव अनुमोदित।शासन के कार्योत्तर स्वीकृति के लिये संदर्भित करने का निर्देश दिया गया।
9.	परिषद के अभियन्ता संवर्ग को अन्य विभागो की अभियन्ताओ की भाँति समयबद्ध वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में।	जल निगम के समान ही परिशिष्ट–3 के अनुसार सहायक/अधिशासी/अधीक्षण अभियन्ताओ को समयबद्ध वेतनमान दिये जाने का निर्णय लिया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि शासकीय अभियन्ताओ के समान सुविधा देने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाय।
0.	इंदिरानगर योजना लखनऊ के अन्तर्गत भवन संख्या डी–1135 को अनारक्षित करते हुये आवंटित करने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित ।तत्काल योजना में श्री शुक्ला को आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
1.	मध्यम आय वर्ग भवन संख्या डी–1107 को अनारक्षित करते हुये आवंटित करने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।तत्काल योजना के अन्तर्गत श्री रामाश्रय राम को आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
52.	परिषद की जिगर विहार कालोनी मुरादाबाद में भवन संख्या ए–33 एवं ए–34 के आवंटन के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।तत्काल योजना में भवन सं0 ए–33 माननीय विधायक को आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
3.	परिषद की मंगल पाण्डेय नगर योजना संख्या–1 मेरठ स्थित व्यवसायिक भूखण्ड सं0 219,463 तथा 461 पर निर्माण हेतु समय दिये जाने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
4.	परिषद की इंदिरानगर विस्तार योजना लखनऊ के अन्तर्गत श्री अजय कुमार मिश्र के पक्ष में आवंटित स्वंय वित्त पोषित भवन संख्या 12/657 के विरूद्ध आरोपित/समायोजित हुये दण्ड ब्याज एवं पुर्नजीवन शुल्क के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।धनराशि जमा की जा चुकी है अतः अनुतोष संभव नही है।
5.	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद में सेक्टर–5ए में नारायण आश्रम तपोवनम् संस्था को 2.00एकड़ भूमि आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
56.	राजाजीपुरम् योजना लखनऊ में अल्प आय वर्ग भवन संख्या एफ–3160श्री उमाशंकर मौर्या के पक्ष में आवंटित किये जानेके सम्बन्ध	श्री उमाशंकर मौर्या को अल्प आय वर्ग भवन संख्या एफ–3160 तत्काल योजना के अन्तर्गत आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

1	2	3
57.	विकास नगर योजना लखनऊ में स्थित अल्प आय वर्ग भवन संख्या 5/290 के विरूद्ध देय दण्डब्याज के सम्बन्ध में।	रू010,000.00(दस हजार) अतिरिक्त ब्याज माफ करने का निर्णय लिया गया।
58.	इंदिरानगर योजना रायबरेली के आवंटी श्री प्रभात मोहन मिश्र के पक्ष में आवंटित भवन संख्या बी–186 पर देय दण्ड ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में।	रू0 10,000.00(दस हजार) माफ करने का निर्णय लिया गया।
59.	अप्रवासी भारतीयो को परिषद योजनाओ में सम्पत्तियों के आवंटन के सम्बन्ध में।	10प्रतिशत धनराशि तत्काल आवंटन शुल्क के रूप में लिये जाने का निर्णय लिया गया।
60.	परिषद की विकास नगर योजना लखनऊ स्थित अल्प आय वर्ग भवन संख्या 6/912 के विरूद्ध देय ब्याज की माफी के सम्बन्ध में।	रू010,000.00(दस हजार)अतिरिक्त ब्याज माफ करने का निर्णय लिया गया।
61.	परिषद के लिये विवेक फण्ड(सेक्रेट फण्ड) की स्थापना।	अनुमोदित किया गया।
	<u>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय:–</u>	
62.	अल्प आय वर्ग भवन संख्या एफ–3164 को अनारक्षित करते हुये आवंटित करने के सम्बन्ध में।	श्री रमाकान्त को तत्काल योजना के अन्तर्गत अल्प आय वर्ग भवन संख्या एफ–3164 आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
63.	मध्यम आय वर्ग भवन संख्या सी–1551 राजाजीपुरम् लखनऊ को अनारक्षित करते हुये आवंटित करने के सम्बन्ध में।	तत्काल योजना के अन्तर्गत श्री अहिबरन सिंह को मध्यम आय वर्ग भवन संख्या सी–1551 आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
64.	श्रीमती शशी अग्निहोत्री को आवंटित भूखण्ड संख्या 16/953 पर देय अनिर्माण शुल्क के सम्बन्ध में।	परिषद बन्धु को संदर्भित किया गया।

पुष्टि की गयी

अध्यक्ष